कार्यालय : नगर निगम, गोरखपुर

सूचना

नगर निगम, गोरखपुर द्वारा समाचार पत्रों में विज्ञप्ति प्रकाशित करायें जाने वाले विज्ञापनों के प्रकाशन कार्य हेतु इच्छुक विज्ञापन एजेन्सियों का इनपैनलमेन्ट किया जाना प्रस्तावित है। इस कार्य हेतु इच्छुक विज्ञापन एजेन्सी, दिनांक—०१-०८-२४ 2024 के अन्दर किसी भी कार्य दिवस में, नगर निगम कार्यालय, गोरखपुर के रेन्ट/विज्ञापन विभाग से सम्पर्क कर, अपना प्रस्ताव प्रस्तुत कर सकता है। नियम व शर्तो की जानकारी नगर निगम, गोरखपुर के बेवसाईट www.nagarnigamgkp.org पर देखी जा सकती है।

प्रभारी अधिकारी (विज्ञापन)
नगर निगम, गोरखपुर
२२-०२-२४

नगर आयुक्त
नगर निगम, गोरखपुर

गोरखपुर नगर निगम में द्वारा समाचार पत्रों में विज्ञप्ति प्रकाशित करने के सम्बन्ध में एजेन्सी के इनपैनलमेन्ट के लिए नियम एवं शर्तें:—

1. गोरखपुर नगर निगम में विज्ञापनों के प्रकाशन करने का अनुबन्ध वित्तीय वर्ष 2024—25 मे 31.03.2025 तक के लिए होगी।
2. प्रस्ताव के साथ लेखाधिकारी, नगर निगम, गोरखपुर के पक्ष में बन्धक जमानत धनराशि रू0 20000/— का एन0एस0सी0/ सावधि जमा/ सी0डी0आर0/ एफ0डी0आर0 संलग्न करना अनिवार्य होगा।
3. एजेन्सी को सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग (विज्ञापन विभाग) उ0प्र0 सरकार द्वारा पंजीकृत/अधिकृत होने संबंधी प्रमाण पत्र संलग्न करना अनिवार्य होगा।
4. प्रस्ताव के साथ पैन/टैन, सेवाकर पंजीकरण प्रमाण पत्र संलग्न करना अनिवार्य होगा।
5. विज्ञापन को सुसंगठित एवं उचित ढंग से समाचार पत्रों में प्रकाशित कराया जाना होगा। जिसमें विज्ञापन की मूल डिजाइन आदि दिये गये विज्ञापन के अनुरूप और कम से कम स्थान (रनिंग मैटर) में पठनीय सामग्री के रूप में प्रकाशित कराना होगा।
6. एक ही विज्ञापन को यदि कई समाचार पत्रों में प्रकाशित कराया जाता है तो निर्धारित साईज व डिजाइन के अनुसार ही समाचार पत्रों में प्रकाशित कराना होगा।
7. नगर निगम, गोरखपुर द्वारा निर्दिष्ट समाचार पत्रों में ही प्रकाशन कराना होगा। यदि बिना लिखित अनुमति एजेन्सी कोई विज्ञापन किसी अन्य समाचार पत्र में प्रकाशित कराती है तो इसके समस्त देनदारियों के लिए वह स्वयं जिम्मेदार होगी।
8. डी0ए0वी0पी0 की दरों के अनुसार नगर निगम द्वारा भुगतान देय होगा।
9. नगर निगम की समस्त शर्तों के अतिरिक्त नगर आयुक्त के समय—समय पर एवं शासन तथा मा0 उच्चतम्/मा0 उच्च न्यायालय द्वारा जारी आदेशों का अक्षरशः पालन एजेन्सी को करना अनिवार्य होगा।
10. इनपैनलमेन्ट हेतु एजेन्सी चयन करने का अधिकार नगर आयुक्त, नगर निगम, गोरखपुर को होगा।
11. इनपैनलमेन्ट होने पर एजेन्सी को उचित मूल्य के स्टैम्प पेपर राजकीय कोषागार से क्रय करते हुये अनुबन्ध पत्र निष्पादित कराना होगा।
12. किसी भी विवाद की स्थिति में वाद गोरखपुर परिक्षेत्र में मान्य होगा।

प्रभारी अधिकारी (विज्ञापन)
नगर निगम, गोरखपुर

नगर आयुक्त
नगर निगम, गोरखपुर

Sat.A.12